

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>1. श्री अजात शत्रु सिंह राणावत अधिवक्ता अपीलांट्स</p> <p>2. श्री दिलीप सुथार अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1</p> <p>3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 अभिभाषक</p> <p>4. श्री दुर्गासिंह शक्तावत अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 6</p> <p>अनवान</p> <p>1. श्री राजेन्द्र कुमार राजदान पिता शम्भूनाथ राजदान, निवासी 113, पलटन मस्जिद के पास, चेतक मार्ग, उदयपुर सदस्य झील संरक्षण समिति, उदयपुर।</p> <p>2. श्री अजात शत्रु सिंह पिता शत्रुदमन सिंह राणावत, निवासी शिवरती हाउस, निचला बाग, तितरडी, गिर्वा, उदयपुर।</p> <p style="text-align: right;">अपीलार्थी</p> <p>1. नगर विकास प्रन्यास, जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।</p> <p>2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर।</p> <p>3. श्री अर्जुन सुथार पिता नारायण सुथार, निवासी 25 मेन रोड, पोस्ट आफिस के पास, सवीना, उदयपुर।</p> <p>4. श्रीमती मिठु कुंवर पत्नि किशन सिंह राणावत, जाति राजपूत, निवासी छोगावाडी, चित्तौड़गढ़।</p> <p>5. श्री पंकज दोशी पिता प्रकाशचन्द्र दोशी, जाति जैन, निवासी 262-263 ओ रोड, भूपालपुरा ग्राउण्ड के पास, भूपालपुरा, उदयपुर।</p> <p>6. श्रीमती सरिता अग्रवाल पत्नि श्री मनीष अग्रवाल, निवासी रानी महल, सर्वरतुविलास, सगस जी बावडी, उदयपुर।</p> <p style="text-align: right;">प्रत्यर्थी</p> <p>अपील अन्तर्गत धारा-90 क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2022-23/101645 दिनांक 04.03.2023</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p style="text-align: right;">दिनांक</p> <p>अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2022-23/101645 दिनांक 04.03.2023 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ के दिनांक 19.05.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई।</p> <p>इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि</p> <ul style="list-style-type: none"> राजस्व ग्राम तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 1937, 	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>1938 मी., 1939, 3462/1940, 3463/1941, 3464/1942, 1942, 1943, 1944 रकाब 0.899 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश LU2012/UDP/2022-23/101645 दिनांक 04.03.2023 से उक्त भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की कार्यवाही की से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की गई।</p> <p>अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दौरान अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियां, आपत्तियों पर जवाब, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, जवाब प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी इत्यादि के पेश किये। दिनांक 19.09.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्रों, आपत्तियों एवं गुणावगुण पर विस्तृत बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम, दफा 96 जादी, आपत्ति पर जवाब के क्रम में एवं गुणावगुण पर अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 6 के द्वारा राजस्व ग्राम तितरडी के अपील में वर्णित उक्त आराजीयात से लगा हुआ तितरडा तालाब बना हुआ है और तालाब से लगी हुई भूमि के संबंध में पूर्व में जारी विधिक प्रकरणों में दिशा निर्देश, सुझाव को नजरअंदाज करते हुए उक्त चुनौतिग्रस्त आदेश से भूमि रूपांतरित करवा ली है। अपीलांत उदयपुर शहर का मूल निवासी है। यह शहर पर्यटन के लिहाज से संपूर्ण विश्व में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और शहर की आधी आबादी 5-6 लाख है जहां हजारों विदेशी व भारत के अन्य शहरों से पर्यटक शहर के सौंदर्य को देखने के लिए साल भर आते रहते है। शहर की सुंदरता यहां बनी मीठे पानी की झीलों, तालाबों, नदियों से जानी जाती है। उक्त तालाबों, झीलों, नदियों, नालों के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाये रखने का सभी व्यक्तियों का दायित्व है। इस संबंध में स्थानीय निगम, निकाय को भी पूर्णरूप से सजग रखते हुए इनकी सुरक्षा का दायित्व रखना होता है तथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नदी नालों, झीलों तालाबों के संबंध में भारतीय मानक संस्थान द्वारा बांध तथा संबद्ध संरचनाओं का निरीक्षण तथा रखरखाव-मार्गदर्शी सिद्धांतों की पालना करनी होती है। फिर भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त सिद्धांत के विपरीत जाकर उक्त चुनौतिग्रस्त आदेश को पारित किया गया। उक्त गांव तितरडी में स्थित तितरडा तालाब जो कि लगभग 100 बीघा में फैला हुआ है, जिसकी लगभग आधा किलोमीटर सरकारी बिलानाम कच्ची मिट्टी की पाल बनी हुई है, जिससे पानी रिसता रहता है और पानी आगे जाकर अन्य नालों में गिरता है, जो निरंतर आगे से आगे चलता रहता है। उक्त तालाब के डुब क्षेत्र में उपरोक्त आराजीयात आती है। राजस्व अभिलेखों की जामाबंदी में भी खसरा नम्बर 1936 एवं 1937 किस्म नाला, नाली बावडी, बीड प्रथम दर्ज है। उक्त नाला और बावडियों को भराव से भरते हुए मूल स्वरूप में ही परिवर्तन कर दिया गया</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>है, जबकि उक्त भराव क्षेत्र से नियमानुसार कम से कम 200 मीटर तक निर्माण स्वीकृति, किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पटवारी तथा तहसीलदार द्वारा मौके के वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर भू-माफियों से मिलिभग कर अवैध लाभ प्राप्त करके इन आराजीयात का अनुचित रूप से पानी के बहाव को रोके जाने की कुचेष्टा की गई है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार भी किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए नाडी भूमि का उपयोग नहीं किया जाता सकता है। उचित एवं स्वच्छ वातावरण के लिए टैंको, तालाबों, झीलों, नदी, नालों की रक्षा करने की आवश्यकता है यानि जलग्रहण क्षेत्रों में किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है और न ही इनमें बारिस के मौसम में प्राप्त होने वाले पानी को नहीं रोका जा सकता है तथा केचमेंट क्षेत्रों के उपयोग को पूर्णरूप से सुरक्षित रखना होता है इसके संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के में पारित निर्णय एवं जल निकासी चैनलों का सीमांकन के बारे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 4271/1999 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के क्रम में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी उदयपुर शहर का निवासी है और वह उदयपुर का प्रबुद्ध नागरिक होकर झीलों तालाबों, नदी नालों आदि के संरक्षण का पूर्णरूप से ध्यान रखता है तथा शहर के अधिकांश निवासियों द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने हेतु उसे अधिकृत किया हुआ है, जिससे उसे आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, इसलिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किया जावे।</p> <p>अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण को उल्लेखित करते हुए अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम की ओर ध्यान आकृष्ट कर बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश की जानकारी अपीलार्थी श्री अजातशत्रु को प्रदान नहीं की गई, जिससे अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश की जानकारी ससमय नहीं हो सकी और दिनांक 04.05.2023 को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ करने की जानकारी मजदूरों से प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय से सम्पर्क करने पर आक्षेपित आदेश की जानकारी हुई और नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की गई।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट 1 ने नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलांट के द्वारा हस्तगत अपील जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत की गयी है जबकि हस्तगत प्रकरण नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा धारा 90-क के आदेश से संबंधित है। जनहित याचिका की सूनवाई का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जिन मानक नियमों का हवाला दिया जा रहा है वह बांध के सम्बन्ध में है जबकि हस्तगत प्रकरण में</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करने की गरज से सारभुत तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रावधानो को विधि विरुद्ध रूप से तालाब पर लागु होना बताकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी स्वयं द्वारा 90-क की गई भूमि के लगते हुए मकान बना रखा है और अतिक्रमण कर रखा है, फिर भी अपीलार्थी द्वारा धारा-90क के विरुद्ध यह अपील पेश की गई, अपने स्वयं के मकान व अतिक्रमण होने के तथ्यों को अपीलार्थी द्वारा छिपाया गया है, जो विधिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बहस में मौके पर नाला होने का उजर प्रस्तुत किया है, परन्तु मौके पर कोई नाला नहीं है। मौका निरीक्षण एवं जल संसाधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया है कि तालाब में सिंचाई हेतु कोई नहर अथवा Sluice नहीं पाया गया जिससे सम्भवतः यह प्रतीत होता है कि तालाब का कोई सिंचित क्षेत्र नहीं है एवं तालाब मुख्यतः भू-जलभरण तथा आसपास के मवेशियों हेतु बनाया गया होगा। मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर कोई नाला नहीं पाया गया न ही कोई नहर अथवा Sluice पायी गई। नाली कोई प्राकृतिक स्रोत, बहाव व केंचमेंट क्षेत्र नहीं है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय की पालना में मौके पर पक्की नाली का निर्माण करा हुआ है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए नाली को नाला बताया जा रहा है। वास्तव में आवेदित भूमि तालाब की कच्ची पाल से 120 मीटर की दुरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है, जिसके अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन में कोई बाधा नहीं थी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।</p> <p>अधिवक्ता रेस्पोंडेंट 2 राजकीय अभिभाषक द्वारा अधिवक्ता नगर विकास प्रन्यास के कथनों का समर्थन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जानें का निवेदन किया।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट 3 से 6 ने अधिवक्ता अपीलार्थी की गुणावगुण पर प्रस्तुत बहस एवं विभिन्न प्रार्थना पत्रों पर की गई बहस के खण्डन में अपने बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के द्वारा स्वीकृत रूप से केवल मात्र उदयपुर शहर का व्यक्ति होना तथा वादग्रस्त आराजीयात में उसका हिस्सा नहीं होना एवं शहर के निवासियों के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति होना बताकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क(9) में स्पष्ट प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश से व्यथित व्यक्ति ही अपील कर सकता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क (9) के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष केवल मात्र व्यथित व्यक्ति को ही विशिष्ट क्षेत्राधिकार उपलब्ध है जबकि अपीलांट के द्वारा हस्तगत अपील जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत की गयी है जिस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जिन मानक नियमों का हवाला दिया जा रहा है वह बांध के सम्बन्ध में है जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करने की गरज से सारभुत तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रावधानो को विधि विरुद्ध रूप से तालाब पर लागु होना बताकर हस्तगत अपील प्रस्तुत</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>की गयी है जिससे अपीलांट का कण्डक्ट 'मटैरियल कन्सीलमेंट ऑफ फेक्ट्स' की श्रेणी में आता है। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अपीलांट की आपत्ति पर जल संसाधन विभाग से भी अनापत्ति रिपोर्ट मांगी गयी जिस पर सम्बन्धित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी जिसकी जानकारी अपीलांट को होने के बावजूद अपीलांट के द्वारा इस तथ्य को छिपाकर अपने अन्य हेतुको की पूर्ति हेतु हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी जो कि विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है। किस्म नाली किसी प्रकार के प्राकृतिक बहाव अथवा प्राकृतिक जल के भराव क्षेत्र से जुड़ी नहीं होकर वरन खेतों के बीच में पिलाई हेतु काश्तकार के द्वारा बनाए गये धोरे हुआ करते थे, जिनमें फसल काश्त नहीं हो पाती थी, इस कारण लगान के अल्पीकरण की दृष्टि से उक्त धोरो को नाली किस्म दी जाती थी वर्तमान में सिंचाई पाईपलाईन से किये जाने के कारण सिंचाई हेतु धोरो का अस्तीत्व एवं स्वरूप ही समाप्त हो गया है, मौके की स्थिति के अनुसार जो किस्म नाली है वह केवल बावड़ी से सिंचाई हेतु प्रयुक्त होती थी जिसमें किसी प्रकार का प्राकृतिक जल बहाव नहीं होता है, ना ही उक्त नाली किसी तालाब अथवा किसी प्राकृतिक स्रोत से जुड़ी हुई होकर प्राकृतिक जल के बहाव से भी इनका कोई सम्बंध नहीं है यह तथ्य रेस्पोंडेंट नगर विकास प्रन्यास की ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 14/03/2023 में प्रदत्त विवरण से भी स्पष्ट है वर्तमान में नाली मौके पर उपलब्ध नहीं है। नगर विकास प्रन्यास के द्वारा नियमन एवं सम्परिवर्तन की कार्यवाही में आंवटी को 60 प्रतिशत भूमि के आवंटन पट्टे प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में अन्य रेस्पोंडेंट को केवल मात्र 56 प्रतिशत भूमि का प्लान ही अनुमोदित किया गया है तथा प्रकरण में यदि किस्म नाली एवं बावड़ी की गणना की जावे तो पुरे प्लान में केवल मात्र 0.0450 हेक्टेयर क्षेत्रफल ही इस किस्म में आता है जिसका क्षेत्रफल वर्गफीट में 4842 वर्गफीट है जबकि प्लान के अनुरूप 5,124.92 वर्गफीट क्षेत्र इस बावत आरक्षित है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के पट्टे जारी नहीं किये गये है। प्राकृतिक बहाव एवं जल भराव क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के अनुरूप 15 दिशा निर्देश जारी किये गये है जिसके निर्देश क्रमांक 06 के अनुरूप किसी जल भराव क्षेत्र के नजदीक किसी प्रकार का सम्परिवर्तन अथवा निर्माण किया जाता है तो इस सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जानी आज्ञापक है हस्तगत प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर रखी है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से भी रिपोर्ट तलब की गयी जिसमें किसी भी विभाग के द्वारा उक्त सम्परिवर्तन नियमन एवं 90 ख की कार्यवाही के समर्थन में कथन किये गये है तथा जल संसाधन विभाग ने तो अपने बिन्दु संख्या 07 में वादग्रस्त भूमिया डाउन स्ट्रीम में स्थित होने के कारण वहां खुदाई एवं निर्माण किया जाना अनिवार्य रूप से उचित रहना बताया गया ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक एवं जल संसाधन विभाग की विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमियों के सम्परिवर्तन एवं तत्पश्चात उन पर निर्माण किये जाने हेतु किसी प्रकार की कोई विधिक बाध्यता नहीं है। अपीलांट को अधिनस्थ नगर विकास प्रन्यास की कार्यवाही की भली जानकारी होकर अपीलांट के द्वारा अपनी आपत्ति रेस्पोंडेंट नगर विकास प्रन्यास के समक्ष भी प्रस्तुत</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>की गयी जिसका निस्तारण नगर विकास प्रन्यास द्वारा किया जा चुका है जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट के द्वारा किसी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलाण्ट को अधिनस्थ नगर विकास प्रन्यास के निर्णय की जानकारी नहीं है जिससे भी अपीलाण्ट की अपील अवधि बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है तथा अपीलाण्ट व्यथित व्यक्ति भी नहीं होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्था-3 से 6 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RLW 2010(2) RJ 849 2. RLW 2011(2) RJ 810 (HC) 3. 2011(4) RLW 3158 (Raj) 4. Civil Appeal No. 7728 of 2012 dated 08.11.2023 – SC- Ayaub Khan Noor Khan Pathan vs. State of Maharastra & others. 5. (2012) 2 RLW (RJ) 1402 6. (2012) 2 RLW (RJ) 1281 7. (2012) 2 RLW (RJ) 961 8. (2013) 1 DNJ 278 9. (2013) 1 RLW (RJ) 341 10. (2014) 1 DNJ 307 11. 2018 RRT 495 <p>हमने उपस्थित अधिवक्तागण की प्रारम्भिक आपत्तियां, आपत्तियों पर जवाब, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, जवाब प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी एवं गुणावगुण पर प्रस्तुत विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया।</p> <p>दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपटित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत कई दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।</p> <p>जैसा की उपरोक्त में वर्णन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया, जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्था-3 से 6 द्वारा दृढ़ता से आपत्ति जाहिर करते हुए लिखित में आपत्ति एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आपत्ति पर अपीलार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया। विधिक के सुस्पष्ट प्रावधानों के दृष्टीगत हम यहा सवप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर अपना विनिश्चित किया जाना उचित समझते है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2022-23/101645 दिनांक 04.03.2023 के विरुद्ध न्यायालय हाजा समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। इस</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय सभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रकरण में हम सर्वप्रथम इस अपील के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किया जाना उचित समझते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति किसी आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1993 RRD 44 का सारांश निम्न प्रकार है:-</p> <p>“SECTION 96 -The fact that a party is an aggrieved person does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute in the lower court - He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so – An appeal filed without obtaining permission from the court of appeal is incompetent and cannot be maintained”</p> <p>इसी प्रकार 1993 RRD 232 (DB) का सारांश निम्न प्रकार है :-</p> <p>“CODE OF CIVIL PROCEDURE – SECTION 96- A PERSON WHO IS NOT A PARTY TO AN ORDER OR DECREE CANNOT PREFER AN APPEAL AGAINST SUCH ORDER OR DECREE WITHOUT THE LEAVE OF THE COURT – AN APPEAL FILED WITHOUT LEAVE OF THE IS INCOMPETENT.”</p> <p>उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में क्या अपीलार्थी इस अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति है अथवा नहीं, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और परिक्षणोपरांत जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी-3 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त वर्णित आराजीयात के नियमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष ऑनलाईन आवेदन जरिये आईडी क्रमांक 10645 को प्रस्तुत किया। जिसके संबंध में अखबार में उजदारी प्रस्तुत की गई, परन्तु कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से नियमन की कार्यवाही को सम्पादित किया गया। लेख है कि इसी जमीन से लगती हुई ग्राम तितरडी के अन्य आराजीयात, जिसमें हस्तगत प्रकरण के कई प्रत्यर्थीगण पक्षकार हैं, के नियमन आवेदन पर ग्रामवासियान तितरडी की आपत्तियां प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी अंकन किया जाना प्रकट होता है। उक्त आपत्तियों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित विभाग जिसमें महत्वपूर्ण विभाग जलसंसाधन विभाग भी सम्मिलित है, से रिपोर्ट प्राप्त की गई और आपत्तियां निराधार होने निर्णय दिनांक 17.11.2022 से प्राप्त आपत्तियों को खारिज करते हुए आवेदक पक्ष में नियमन की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 17.11.2022 के विरुद्ध</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>किसी न्यायालय में कोई चाराजोही की गई हो ऐसा साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 17.11.2022 अंतिम होकर सभी आपत्तिकर्ता को स्वीकार्य होना प्रकट होता है। इस प्रकरण में भी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उजरदारी प्रकाशन के उपरान्त भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2023 को पारित किया जिसमें अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-90क(9) में थर्ड व्यक्ति को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। तृतीय पक्ष व्यथित नहीं हो सकता। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यथित/हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, न उसके पक्ष में कोई आदेश पारित किया, न उसके विरुद्ध। न ही अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या जमाबंदी प्रस्तुत की है जो यह प्रकट करती हो कि संपरिवर्तित/विवादित भूमि का वह खातेदार काश्तकार रहा हो। ऐसे में अपीलार्थी जो व्यथित/हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, को धारा-90क(9) के अन्तर्गत कार्यवाहियों को चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है। यहा हम प्रत्यर्थी-3 से 6 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में भी परिक्षण किया जाना उचित समझते है।</p> <p>प्रत्यर्थी-3 से 6 द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार हैं :-</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय में आरएलडब्ल्यू 2011(2) आरजे 810 (एचसी) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p>Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Secs.90-B- 'Aggrieved person' within the meaning of sec.90B(7) and locus standi of respondent "Vikas Samiti" to file appeal against an order converting the use of agriculture land into commercial use - Held - Appeal u/s. 90-B can be filed by aggrieved person, the land owner himself - The appeal filed by stranger, the Vikas Samiti was incompetent and not maintainable - The order passed by Divisional Commissioner was wholly without jurisdiction - Quashed and set-side.</p> <p>उक्त न्यायिक दृष्टांत अनुसार भू-स्वामी ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, इस प्रकरण में अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है, ऐसे में इस निर्णय के आलोक में अपीलार्थी की अपील पोषणीय नहीं है।</p> <p>माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 7728-2012 दिनांक 08. 11.2022 में माना है कि</p> <p>Administratio of Justice - Locus standi - Aggrieved party - Only a person who has suffered, or suffers from legal injury can challenge the act/ation/order etc. in a court of law - A strage cannot be permitted to meddle in any proceedings.</p> <p>उक्त न्यायिक दृष्टांत भी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण से सुंसगत होकर लागू होता है क्योंकि अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है और</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>न ही व्यथित व्यक्ति, ऐसे में इस निर्णय के आलोक में अपीलार्थी की अपील पोषणीय नहीं है।</p> <p>माननीय राजस्व मण्डल ने (2012) 2 RLW (RJ) 961 में माना है कि</p> <p>Rajasthan land Revenue Act, 1956, Sec 90-B – Maintainability of appeal before the Divisionsal Commissioner – Application for conversion of land for residential purpose - Land converted and recorded in the name of Municipal Council – Appeal against the order allowed by Divisional Commissioner – Revision – held – Divisional Commissioner is not empowered appeal against the order passed u/s. 90B(3). Third party cannot be aggrieved person – Neighbouring khatedars have no right to file objections or appeal – order set side.</p> <p>उक्त न्यायिक दृष्टांत भी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण से सुसंगत होकर लागू होता है क्योंकि अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है और न ही व्यथित व्यक्ति, वह थर्ड पर्सन, ऐसे में इस निर्णय के आलोक में अपीलार्थी की अपील पोषणीय नहीं है।</p> <p>अन्य प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस प्रकार के होने के कारण इस प्रकरण पर पूरी तरह लागू होते हैं।</p> <p>उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों के “रिबटल” में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कोई भी न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे इनका खण्डन किया जा सके। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त स्वीकार किये जाते हैं और उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों व विवेचन के आलोक में अपीलार्थी (थर्ड पर्सन/अव्यथित व्यक्ति) की अपील पोषणीय नहीं है।</p> <p>प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत यह न्यायालय प्रश्नगत अपील के अयोग्य होने के उपरान्त भी प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसके क्रम में यह न्यायालय पाता है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई टोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे हैं। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे हैं, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है जो अपीलार्थी द्वारा बताये नहीं गये हैं। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक अखबार में उजरदारी प्रस्तुत की गई, जिसका अंकन रिपोर्ट दिनांक 04.09.2023 में स्पष्टतः अंकित है। अखबार एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा शहर/दुनिया में होने वाली विभिन्न घटनाओं के साथ-साथ विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत उजदारियों/निविदाओं इत्यादि का भी प्रकाशन किया जाता है, जिससे</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय सभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>आमजन का इसकी जानकारी आसानी से हो सके। इस प्रकरण में भी अखबार प्रकाशन कराया जाना प्रकट होता है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है, अपीलार्थीगण का नियमन की कार्यवाही की जानकारी न हो। लेख है कि अपीलार्थीगण द्वारा इसी जमीन के साथ इन्ही प्रत्यर्थीगण के अन्य प्रकरण में आपत्तियां पेश की गई जो इसी समयावधि से संबंधित है, जिसमें नगर विकास प्रन्यास द्वारा निर्णय दिनांक 17.11.2022 से आपत्तियां खारिज की गई। न्यायालय समक्ष उजागर परिस्थितियों अनुसार अपीलार्थीगण को अपीलार्थीगण निर्णय की जानकारी न हो यह स्वीकार्य तथ्य नहीं है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से लगभग 7 माह के बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है एवं जो अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। मामलों में जनहित से जुड़े मुद्दे होने से एवं उदयपुर शहर का झीलों की नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इस न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि वह झीलों के सुरक्षा हेतु निरोधात्मक प्रयास जारी रखे। इस दृष्टिकोण के मध्यनजर इस प्रकरण का गुणावगुण पर भी परिक्षण किया जाना उचित होगा। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और पाया कि प्रत्यर्थी-3 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त वर्णित आराजीयात के नियमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष ऑनलाईन आवेदन जरिये आईडी क्रमांक 101645 दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत किया। जिसके संबंध में अखबार में उजदारी प्रस्तुत की गई, परन्तु कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से नियमन की कार्यवाही को सम्पादित किया गया। लेख है कि इसी जमीन से लगती हुई ग्राम तितरडी के अन्य आराजीयात, जिसमें हस्तगत प्रकरण के कई प्रत्यर्थीगण पक्षकार है, के नियमन आवेदन पर ग्रामवासियान तितरडी की आपत्तियां प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी अंकन किया जाना प्रकट होता है। उक्त आपत्तियों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित विभाग जिसमें महत्वपूर्ण विभाग जलसंसाधन विभाग भी सम्मिलित है, से रिपोर्ट प्राप्त की गई और आपत्तियां निराधार होने निर्णय दिनांक 17.11.2022 से प्राप्त आपत्तियों को खारिज करते हुए आवेदक पक्ष में नियमन की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 17.11.2022 के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई चाराजोही की गई हो ऐसा साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 17.11.2022 अंतिम होकर सभी आपत्तिकर्ता को स्वीकार्य होना प्रकट होता है। इस प्रकरण में भी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उजरदारी प्रकाशन के उपरान्त भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 04.03.2023 को पारित किया।</p> <p>लेख है कि ऑनलाईन आवेदन/प्रार्थना पत्र संख्या 101645 के संबंध में प्रशासन गावों के संग अभियान-2021-2022 की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 14.03.2023, जिसमें अधिशाषी अभियन्ता, उप नगर नियोजक एवं सचिव नगर</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>विकास प्रन्यास, उदयपुर सम्मिलित है, द्वारा यह निर्णय लिया गया कि-</p> <p>“विवरण: आवेदक द्वारा प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों के प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। ऑनलाईन फाईल में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट की गई कि खसरा संख्या 1937 रकबा 0.0050 किस्म नाली एवं 0.0050 किस्म बावड़ी दर्ज है एवं खसरा संख्या 1943 रकबा 0.0100 किस्म नाली एवं 0.0100 किस्म बावड़ी दर्ज है। खसरा संख्या 1939 रकबा 0.0100 किस्म नाली एवं 0.0050 किस्म बावड़ी दर्ज है, जिसमें क्रम में आवेदक द्वारा ऑनलाईन फाइल में निवेदन किया गया है कि “खसरा संख्या 1937, 1938, 1943 में उल्लेखित नाली व बावड़ी मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौके पर कुआ (बावड़ी) स्थित है। कुएं (बावड़ी) के भाग को हमारे द्वारा मौके पर संरक्षित करते हुए इसकी सुरक्षा एवं रख-रखाव की व्यवस्था कर दी जावेगी। साथ ही वर्षा के पानी की निकासी हेतु हमारे द्वारा 3 फीट का नाला प्लान अनुमोदन के उपरान्त करवा दिया जायेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वर्णित खसरों की 90क/प्लान अनुमोदन करवाने की कृपा करावें।” साथ ही आवेदित प्लान की दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली 30’ फीट चौड़ी सड़क की भूमि खसरा संख्या 1940 के खातेदारों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।</p> <p>समिति निर्णय: समिति द्वारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्लान में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार 40’ एवं 30’ फीट रखते हुए, आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों का अनुमानित क्षेत्रफल 56.82 प्रतिशत है। आवेदित प्लान की दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली 30’ चौड़ी सड़क की भूमि खसरा संख्या 1940 के खातेदारों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रकरण में निर्धारित सामान्य शर्तों के दृष्टिगत आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों का तकनीकी दृष्टि से प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया”</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह भी जाहिर आया है कि तहसीलदार राजस्व द्वारा नियमन की अनुशंसा की गई। आवेदित भूमि पर 40फीट के पहुंच मार्ग होना बताया जाकर प्रार्थी की बरसाती पानी की समूचित निकासी की व्यवस्था पुख्ता रूप से कराये जाने की शर्त पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित बताया।</p> <p>यहां हम अपीलाधीन आदेश में वर्णित तथ्यों का भी अवलोकन किया जाना उचित समझते हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2023 में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकन किया गया है कि-</p> <p>“2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ पत्र, की-मेप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्या एवं अन्य</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय सभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।”</p> <p>उक्त रिपोर्ट/अनुशंषा एवं ले-आउट प्लान समिति के निर्णय के आधार पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए धारा-90क एवं प्लान अनुमोदन की कार्यवाही सम्पादित की गई, जिसके तहत सभी तथ्यों पर विचार विमर्श एवं विधिक प्रावधानों की पालना की गई, ऐसों में इस स्तर तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं होती है।</p> <p>लेख है कि कई अवसरों पर रेकार्ड एवं मौके की स्थिति में अन्तर होता है, जिसे स्पष्ट किया जाना विधिक दृष्टि से न्यायसंगत होता है। इसके अतिरिक्त मामले में उदयपुर झीलों की नगरी में स्थिति एक झील के संरक्षण संबंधी जनहित में मुद्दा उठाए जाने से इस न्यायालय द्वारा मौके का निरीक्षण दिनांक 04.09.2023 को किया गया जिसमें संबंधित तहसीलदार, गिर्वा, जलसंसाधन विभाग के अधिशाषी अभियन्ता, भूप्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के अधिकारीगण मय अभिलेख उपस्थित रहे। मौका निरीक्षण के दौरान अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण मय पक्षकारान उपस्थित रहे। उपस्थित विभागों से मौका निरीक्षण की रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर संबंधित विभागों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>मौका निरीक्षण उपरान्त उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर का रिपोर्ट क्रमांक अअ/सामा/भू.अना./2023/8798 दिनांक 05.09.2023 प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “उक्त प्रकरण में वर्णित तालाब जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। साथ ही इस तालाब से संबंधित कोई भी तकनीकी दस्तावेज इस कार्यालय में संधारित नहीं है। 2. मौका निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि 1945, 1946, 1947मीन, 1955मीन, 3507/1961, 1961, 3508/1962, 1962 किता 08 रकबा 1.2300 है. भूमि वर्णित तालाब के Downstream में स्थित है। 	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>3. बिन्दु 2 में वर्णित भूमि तालाब के Downstream में स्थित होने से यह भूमि वर्णित तालाब के catchment area में स्थित नहीं है।</p> <p>4. तालाब में मौका निरीक्षण के दौरान जल भराव</p> <p>5. तालाब में सिंचाई हेतु कोई नहर अथवा Sluice नहीं पाया गया जिससे सम्भवतः यह प्रतीत होता है कि तालाब का कोई सिंचित क्षेत्र नहीं है एवं तालाब मुख्यतः भू-जलभरण तथा आसपास के मवेशियों हेतु बनाया गया होगा।</p> <p>6. तालाब की पाल मिट्टी की बनी हुई है तथा इसका waste weir क्षतिग्रस्त पाया गया। बिन्दु 2 में वर्णित भूमि तालाब के waste weir से निकल रहे नाले से लगभग 120 Meter दूरी पर स्थित है।</p> <p>7. तालाब से समीपस्थ होने के कारण तालाब में जल भरण के दौरान रिसाव को देखते हुए Downstream में भूमि में निर्माण के दौरान नियमानुसार खुदाई/निर्माण कार्य किया जाना अनिवार्य रूप से उचित होगा।”</p> <p>नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.09.2023 को प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है-</p> <ol style="list-style-type: none"> “(1) श्री अर्जुन सुथार पिता श्री नारायण सुथार, (2) श्री पंकज जैन पिता श्री प्रकाशचन्द्र दोषी, (2) श्रीमति मिटु कुंवर पत्नि श्री किशनसिंह राणावत, (4) श्रीमती सरिता अग्रवाल पत्नि श्री मनीष अग्रवाल द्वारा राजस्व ग्राम तितरडी के आराजी संख्या 1937, 1938मी., 1939, 3462/1940, 3463/1941, 3464/1942, 1942, 1943, 1944 रकबा 0.8990 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के नियमन हेतु न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके क्रम में न्यास द्वारा ऑनलाईन आम-सूचना के माध्यम से आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु प्राथियां को पत्र जारी किया गया। प्राथियां द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 13.12.2022 के अंक में प्रकाशन कराया गया कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उक्त आम सूचना प्रकाशन के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही के तहसीलदार गिर्वा को एल आर एक्ट जारी किया गया। उक्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन अनुसार खातेदारों के नाम दर्ज होना बताया गया। उक्त रिपोर्ट में भी गैर कृषि प्रयोजनार्थ के उपयोग की अनुशंषा की जाकर भूमि किसी निर्बाधित वर्ग/क्षेत्र में नहीं होने की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदित भूमि तितरड़ा 	

फर्द अहकाम
न्यायालय सभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए																																																								
	<p>तालाब का भाग नहीं है और न ही उक्त भूमि की किस्म डूब/निर्बधन श्रेणी की भूमियों की है। आवेदित भूमि प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, भराव व डूब क्षेत्र में नहीं आती है।</p> <p>4. न्यास द्वारा 90-ए की कार्यवाही दिनांक 22.11.2022 को की गयी।</p> <p>5. दिनांक 14.03.23 को ले-आउट प्लान समिति द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्लान अनुमोदित किया गया।</p> <p>6. तीतरड़ा तालाब एवं प्रार्थी की आवेदित आराजी के मध्य प्रार्थी की आराजी संख्या 1936 है जिसका आवेदन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। प्रार्थी के भूखण्ड तीतरड़ा तालाब की पाल से न्यूनतम 130' की दुरी पर स्थित है।”</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि-</p> <p>“आपके पत्र क्रमांक प्रकरण संख्या 27,28,29/2023 राजस्व अपील/1377 दिनांक 31.08.2023 एवं 1400 दिनांक 01.09.2023 की पालना में इस कार्यालय के अधिकारी एवं कार्मिक मौके पर उपलब्ध हुए। मौके पर आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>खसरा न.</th> <th>रकबा (हे.)</th> <th>गत भूमि का वर्गीकरण मय रकबा (हे.)</th> <th>हाल भूमि वर्गीकरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1937</td> <td>0.2500</td> <td>नाली 0.0050 बावड़ी 0.0050 बीड प्रथम 0.2400</td> <td rowspan="18">आवासीय (नगर विकास प्रन्यास)</td> </tr> <tr> <td>1938मी.</td> <td>0.1040</td> <td>बीड प्रथम 0.1040</td> </tr> <tr> <td>1939</td> <td>0.1050</td> <td>बावड़ी 0.0050 नाली 0.0100 बीड प्रथम 0.0900</td> </tr> <tr> <td>3462/1940</td> <td>0.0350</td> <td>बीड प्रथम 0.0350</td> </tr> <tr> <td>3463/1941</td> <td>0.0400</td> <td>बीड प्रथम 0.0400</td> </tr> <tr> <td>3464/1942</td> <td>0.0350</td> <td>बीड प्रथम 0.0350</td> </tr> <tr> <td>1942</td> <td>0.1550</td> <td>बीड प्रथम 0.1000 कु.द्वितीय 0.0550</td> </tr> <tr> <td>1943</td> <td>0.0300</td> <td>बावड़ी 0.0100 नाली 0.0100 बीड प्रथम 0.0100</td> </tr> <tr> <td>1944</td> <td>0.1450</td> <td>कु.तृतीय 0.1450</td> </tr> <tr> <td>1945</td> <td>0.2250</td> <td>मकान 0.0100 बीड प्रथम 0.0650 कु.प्रथम 0.1500</td> </tr> <tr> <td>1946</td> <td>0.1850</td> <td>पाली 0.0550 कु.प्रथम 0.1300</td> </tr> <tr> <td>1947मी.</td> <td>0.1750</td> <td>सड़क 0.1750</td> </tr> <tr> <td>1955</td> <td>0.1500</td> <td>बीड प्रथम 0.0300 कु.प्रथम 0.1200</td> </tr> <tr> <td>1961</td> <td>0.0950</td> <td>बीड प्रथम 0.0500 कु.प्रथम 0.0450</td> </tr> <tr> <td>3507/1961</td> <td>0.0550</td> <td>बीड प्रथम 0.0650</td> </tr> <tr> <td>1962</td> <td>0.1850</td> <td>कु.प्रथम 0.1850</td> </tr> <tr> <td>3508/1962</td> <td>0.1600</td> <td>कु.प्रथम 0.1600”</td> </tr> </tbody> </table> <p>तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.09.2023 में प्रस्तुत</p>	खसरा न.	रकबा (हे.)	गत भूमि का वर्गीकरण मय रकबा (हे.)	हाल भूमि वर्गीकरण	1937	0.2500	नाली 0.0050 बावड़ी 0.0050 बीड प्रथम 0.2400	आवासीय (नगर विकास प्रन्यास)	1938मी.	0.1040	बीड प्रथम 0.1040	1939	0.1050	बावड़ी 0.0050 नाली 0.0100 बीड प्रथम 0.0900	3462/1940	0.0350	बीड प्रथम 0.0350	3463/1941	0.0400	बीड प्रथम 0.0400	3464/1942	0.0350	बीड प्रथम 0.0350	1942	0.1550	बीड प्रथम 0.1000 कु.द्वितीय 0.0550	1943	0.0300	बावड़ी 0.0100 नाली 0.0100 बीड प्रथम 0.0100	1944	0.1450	कु.तृतीय 0.1450	1945	0.2250	मकान 0.0100 बीड प्रथम 0.0650 कु.प्रथम 0.1500	1946	0.1850	पाली 0.0550 कु.प्रथम 0.1300	1947मी.	0.1750	सड़क 0.1750	1955	0.1500	बीड प्रथम 0.0300 कु.प्रथम 0.1200	1961	0.0950	बीड प्रथम 0.0500 कु.प्रथम 0.0450	3507/1961	0.0550	बीड प्रथम 0.0650	1962	0.1850	कु.प्रथम 0.1850	3508/1962	0.1600	कु.प्रथम 0.1600”	
खसरा न.	रकबा (हे.)	गत भूमि का वर्गीकरण मय रकबा (हे.)	हाल भूमि वर्गीकरण																																																							
1937	0.2500	नाली 0.0050 बावड़ी 0.0050 बीड प्रथम 0.2400	आवासीय (नगर विकास प्रन्यास)																																																							
1938मी.	0.1040	बीड प्रथम 0.1040																																																								
1939	0.1050	बावड़ी 0.0050 नाली 0.0100 बीड प्रथम 0.0900																																																								
3462/1940	0.0350	बीड प्रथम 0.0350																																																								
3463/1941	0.0400	बीड प्रथम 0.0400																																																								
3464/1942	0.0350	बीड प्रथम 0.0350																																																								
1942	0.1550	बीड प्रथम 0.1000 कु.द्वितीय 0.0550																																																								
1943	0.0300	बावड़ी 0.0100 नाली 0.0100 बीड प्रथम 0.0100																																																								
1944	0.1450	कु.तृतीय 0.1450																																																								
1945	0.2250	मकान 0.0100 बीड प्रथम 0.0650 कु.प्रथम 0.1500																																																								
1946	0.1850	पाली 0.0550 कु.प्रथम 0.1300																																																								
1947मी.	0.1750	सड़क 0.1750																																																								
1955	0.1500	बीड प्रथम 0.0300 कु.प्रथम 0.1200																																																								
1961	0.0950	बीड प्रथम 0.0500 कु.प्रथम 0.0450																																																								
3507/1961	0.0550	बीड प्रथम 0.0650																																																								
1962	0.1850	कु.प्रथम 0.1850																																																								
3508/1962	0.1600	कु.प्रथम 0.1600”																																																								

फर्द अहकाम
न्यायालय सभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>किया कि-</p> <p>“ग्राम तितरडी की आ.स.1945 रकबा 0.2250 हैक्ट.किस्म कु.प्र. 0.1500, मकान 0.0100, बीड प्र. 0.0650, आ.स. 1946 रकबा 0.1850 हैक्ट. किस्म पाली 0.0550, कु.प्र. 0.1300, आ.स. 3507/1961 रकबा 0.0550 हैक्ट.किस्म बीड प्रथम, आ.स. 3508/1962 रकबा 0.1600 हैक्ट. किस्म कु.प्र., आ.स. 1947 रकबा 0.1750 हेक्ट.किस्म सड़क, आ.स. 1961 रकबा 0.0950 हेक्ट. किस्म कु.प्र.0.0450, बीड़ प्रथम 0.0500, आ.स. 1962 रकबा 0.1850 हैक्ट.किस्म कु.प्र., आ.स.1955 रकबा 0.1500 हैक्ट.किस्म कु.प्र.0.1200, बीड़ प्रथम 0.0300 कुल कित्ता 8 रकबा 1.2300 हैक्ट. भूमि खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी जो कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश क्रमांक क्रमांक F.11 () Reg-in-III/ तितरडी /2022/402-404 एवं 399-401 दिनांक 22.11.2022 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक भु.अ. /90बी/2023/150-151 दिनांक 01.05.2023 से नामान्तरकरण संख्या 8252 दिनांक 12.06.2023 एवं 8281 दिनांक 12.06.2023 से किस्म आवासीय होकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हिस्सा पूर्णा संस्था के लिए दर्ज हुआ है।”</p> <p>उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवेदित/नियमित की गई भूमि केंचमेंट एरिया में नहीं है, भूमि तालाब के डाउनस्ट्रीम में स्थित है, तालाब में मौका निरीक्षण के दौरान जल भराव नहीं पाया गया, तालाब का कोई सिंचित क्षेत्र नहीं है, आवेदित/नियमित की गई भूमि नाले से लगभग 120 मीटर दुरी पर स्थित है। मौके पर कोई नाली मौजूद नहीं है। मौके की स्थिति के अनुसार जो किस्म नाली है वह केवल बावड़ी से सिंचाई हेतु प्रयुक्त होती थी जिसमें किसी प्रकार का प्राकृतिक जल बहाव नहीं होता है, ना ही उक्त नाली किसी तालाब अथवा किसी प्राकृतिक स्रोत से जुड़ी हुई होकर प्राकृतिक जल के बहाव से भी इनका कोई सम्बंध नहीं है। दिनांक 14.03.2023 को ले-आउट प्लान समिति द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्लान अनुमोदित किया है। तीतरड़ा तालाब एवं आवेदक की आवेदित आराजी के मध्य प्रत्यर्थी आवेदक की आराजी संख्या 1936 स्थित है, जिसका आवेदन प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया गया है और प्रत्यर्थी के भूखण्ड तितरड़ा तालाब की पाल से न्यूनतम 130' फीट की दुरी पर स्थित है। आवेदित भूमि तालाब एवं उसके पेटा भाग में आने वाले आराजीयात में सम्मिलित नहीं है एवं आवेदित भूमि तितरडा तालाब के प्राकृतिक बहाव, जल संरक्षक, भराव व डूब क्षेत्र का भाग नहीं है। तालाब में सिंचाई हेतु कोई नहर अथवा Sluice नहीं पाया गया, इस आशय की रिपोर्ट जलसंसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है।</p> <p>जैसा की अधिवक्ता नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अपने बहस में कथन किया है कि आदेश 90-क की भूमि से लगती हुई भूमि पर अपीलार्थी स्वयं का मकान बना हुआ है। मौका निरीक्षण के दौरान अधिवक्ता नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के कथनों की पुष्टि की गई और पाया गया कि अपीलार्थी श्री अजातशत्रु स्वयं का मकान आवेदित भूमि से लगती हुई भूमि पर बना हुआ है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय सभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपील मेमों में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया और इसके विपरित जाते हुए आवेदित भूमि के संबंध में विभिन्न उजरात प्रस्तुत किये गये, तथ्यों की छिपाना अपीलार्थी की अपील प्रस्तुत करने की मंशा पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करती है। यह वस्तुस्थिति प्रकट करती है कि अपीलार्थी न्यायालय समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, उसके द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है, जो अनुचित है।</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय में दायर लोकहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्णय का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने लोकहित याचिका संख्या 1536/2003 अनुवान श्री अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित आदेश के सुसंगत अंश को इस प्रकरण में उद्धरित किया जाना समीचीन होगा:-</p> <p>"All land Shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Govt. land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.</p> <p>Having given thoughtful consideration to the issue involved and the suggestions made, we direct the state government to consider the recommendations of the committee referred to above and chalk out a plan to take the effective steps for restoring the catchment areas to their original shape. It is made clear that this order will not prevent the State Authorities from drawing up or taking further steps more effectively to fulfill the objects of the directions issued by this Court. Three month's time is granted for giving positive shape to the suggestion. The interim order dated 09-04-2003 granted by this Court is made absolute."</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय ने इस लोकहित याचिका में जो निर्णय पारित किया है वह मानव संतति को बेहतर व गुणात्मक स्तर का जीवन जीने के लिए प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्राप्त नदियों, तालाबों, झीलों व शुद्ध पर्यावरण के संरक्षित करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। माननीय न्यायालय ने नदियों, तालाबों, झीलों, नालों व किसी भी जल संरक्षण ढांचे (Water body) की डूब क्षेत्र व जल ग्रहण क्षेत्र में हुए गैर कृषि कार्यों हेतु संपरितर्वनों व उत्खनन गतिविधियों हेतु बड़े पैमाने पर हो रहे उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए यह आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के वृहत् उद्देश्यों को ध्यान में रख कर एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर यह निर्णय पारित किया है। इस न्यायालय द्वारा माननीय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय की आलोक में विवादित भूमियों का मौका निरीक्षण किया गया और पाया गया है कि आवेदित भूमि तालाब के केचमेंट एरिया में स्थित नहीं है, तालाब की सिंचित क्षेत्र नहीं है, आवेदित भूमि तितरड़ा तालाब का भाग नहीं है और न ही उक्त भूमि की किस्म डूब/निर्बधन श्रेणी की भूमियों की है। आवेदित भूमि प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, भराव, डूब क्षेत्र में नहीं आती है। किस्म नाली किसी प्रकार के प्राकृतिक बहाव अथवा प्राकृतिक जल के भराव क्षेत्र से जुड़ी नहीं होकर वरन खेतों के बीच में पिलाई हेतु काश्तकार के द्वारा खोदे गये धोरे हुआ करते थे, जिनमें फसल काश्त नहीं हो पाती थी, इस कारण लगान के अल्पीकरण की दृष्टि से उक्त धोरो को नाली किस्म दी जाती थी वर्तमान में सिंचाई पाईपलाईन से किये जाने के कारण सिंचाई हेतु धोरो का स्वरूप समाप्त हो गया है, मौके की स्थिति के अनुसार जो किस्म नाली है वह केवल बावड़ी से सिंचाई हेतु प्रयुक्त होती थी जिसमें किसी प्रकार का प्राकृतिक जल</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>बहाव नहीं होता है, ना ही उक्त नाली किसी तालाब अथवा किसी प्राकृतिक स्रोत से जुड़ी हुई होकर प्राकृतिक जल के बहाव से भी इनका कोई सम्बंध नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 के निर्देश संख्या-3 में यह उल्लेखित किया गया है कि 3. Demarcation of drainage channels – (ii) In urban and rural area, the demarcation of drainage channels must be essentially be done by constructing side walls of appropriate height and thickness. दौरान मौका निरीक्षण यह पाया गया कि आवेदक द्वारा माननीय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के उक्त निर्देश की पालना में पक्का नाली बनाकर निर्देशों की पालना कर ली गई। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आवेदित भूमि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं अपीलार्थी द्वारा अंकित निर्णय से प्रभावित भूमि नहीं है और आवेदक द्वारा न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना भी की गई। इसी प्रकार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरण में पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के पालना की गई, संबंधित तहसीलदार व स्थानीय प्राधिकारी से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभिन्न शर्तें अधिरोपित करते हुए, प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया गया। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा इस प्रकरण में धारा-90क के तहत पारित अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है, जिससे यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।</p> <p>उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से एवं अपीलान्त के व्यथित/हितबद्ध पक्षकार नहीं होने पर विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। चूंकि उदयपुर शहर झीलों का शहर है, तीतरड़ा तालाब के संरक्षण के दृष्टिगत एवं आवेदित भूमि तीतरड़ा तालाब के समीप होने से उपरोक्त स्थिति होने उपरान्त भी यह न्यायालय प्रत्यर्थी-3 से 6 को यह निर्देशित किया जाता उचित पाता है कि कुए के भाग के संरक्षण एवं वर्षा के पानी की निकासी के संबंध में नगर विकास प्रन्यास समक्ष प्रस्तुत कथनों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें। तालाब में जल भरण के दौरान रिसाव को देखते हुए डाउनस्ट्रीम में भूमि में निर्माण के दौरान अनिवार्य रूप से नियमानुसार खुदाई/निर्माण कार्य करें। तालाब की पाल को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं किया जावें। प्राकृतिक बहाव क्षेत्र/भराव क्षेत्र/केचमेंट को किसी भी प्रकार से बाधित/प्रदुषित नहीं किया जावें। तालाब के पानी में किसी भी तरह का केमिकल वेस्ट/कचरा/भराव केचमेंट में नहीं डाला जावें। साथ ही नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अधिरोपित शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p>(राजेन्द्र भट्ट) संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/38) श्री राजेन्द्र राजदान व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए